बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242160 (फैक्स)
email: dm- siwan.bih@nic.in

–: आदेश :–

कोरोना वायरस COVID-19 से संक्रमित मरीजों/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है, और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में इसके संक्रमण को अनिवार्य रुप से रोकने का निदेश दिया गया है। जॉच के दौरान कोविड–19 संक्रमण से पोजिटीव पाये गये व्यक्तियों से संबंधित ग्रामों एवं उसके तीन किलोमीटर की परिधि मे पाये जाने वाले क्षेत्र को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्र संख्या– 9657, दिनांक 26.03.2020 द्वारा Containment zone तथा Containment zone की परिधि की सीमा समाप्त होने से अगले 07 कि0 मी0 की परिधि को buffer zone की घोषित करने का निदेश दिया गया था। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–D.O. No. Z-21020/16/2020-PH Date 15-04-2020 एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 298(11) दिनांक 16.04.2020 के आलोक में Containment क्षेत्र में अंतिम जॉंच रिर्पोट निगेटिव पाये जाने के 28 दिन पश्चात् यदि उस क्षेत्र से कोई अन्य positive मामला नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र को Containment zone से मुक्त किया जाना है।

सीवान जिलान्तर्गत प्रखण्ड नवतन के ग्राम पंचायत अंगौता में दिनांक–26.03.2020 को एक व्यक्ति संक्रमित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 889/सी0, दिनांक 26.03.2020 द्वारा ग्राम पंचायत अंगौता के तीन किलोमीटर की परिधि में Containment zone घोषित किया गया था। संक्रमित व्यक्ति के अंतिम जॉंच रिर्पोट दिनांक 11.04.2020 को निगेटिव पाये जाने के पश्चात उक्त जोन मे कोविड–19 संक्रमण का कोई अन्य positive मामला नहीं पाया गया है। अतः नवतन प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज अंगौता एवं उसके तीन किलोमीटर की परिधि अन्तर्गत क्षेत्र Containment zone से मुक्त मुक्त किया जाता है।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक 1358/सी0, सिवान, दिनांक 10वीं मई, 2020 ई0

प्रतिलिपि–	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ
प्रतिलिपि–	आयुक्त, सारण प्रमण्डल छपरा/उप महानिरीक्षक, सारण छपरा को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि–	पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–	अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/जिला मलेरिया पदाधिकारी, सीवान/सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–	सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि--	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/महाराजगंज एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सिवान सदर/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेश से सम्पूर्ण प्रिंट मिडिया/इलेक्ट्रानिक मिडिया को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि–	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/5/20

जिला पदाधिकारी,
सिवान।